मध्य रेल **CENTRAL RAILWAY**

साक्षी के हस्ताक्षर/Signature of witness

भविष्य निधि ग्रुप बीमा योजना और मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान के लिये सिम्मिलित नामांकन फार्म COMBINED NOMINATION FORM FOR P. F. GIS & DCRG

जी पी-45/G. P. 45 जी-1-21 फार्म क्र. 8 G-1-21 Form No. 8 फार्म क्र. 2 से 5 अनुच्छेद 902 906 और 908 एमआरपीआर Form No. 2 to 5 Paras 902 906 & 908-MRPR

(फार्म भरने के पहले संलग्न अनुदेश कृपया ध्यान से पढें)/(Please read the attached instructions carefully before filling up the form)

में एतदुद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामित करता हूं और उसे/उन्हें निम्नलिखित राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूं I hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/her/them the right to receive . के खाते में जमा राशि _of the SRPF, at the time of my death, & (क) मेरी मृत्यु के समय मेरे राजकीय रेल भविष्य निधि लेखा क्र. (a) The amount at my credit in my Account No._

(ख) केंद्र सरकार द्वारा मंजुर कोई भी उपदान और सेवा में होते हुए मेरी मृत्यु के बाद केंद्र सरकार द्वारा ग्रुप बीमा योजना 1980 तहत मंजुर कोई राशि अथवा मेरी सेवा निवृत्ति पर मिरक्की वाली राशि नीचे लिखें अनुसार मेरे खाते में बिना भुगतान किये जमा रख दी जाए ।

by he canctioned by Central Goyt, under the Central Goyt, Group Insurant

the extent specified	J below :						
नामित व्यक्तिओं के नाम एवं पते	नामित व्यक्तिओं के साथ रेल	आयु	ग्रुप बीमा यो./मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान/भ. नि. की जमा	परिस्थितियां जिनके घटित होने पर ग्रु. बी. यो./ मृत्यु एवं	रेल कर्मचारी की मृत्यु से पहले नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में अथवा रेल कर्मचारी की मृत्यु के बाद	प्रत्येक को देय बी. यो./ मृ. ए	
	कर्मचारी का		राशि और उसमें से प्रत्येक नामित	निवृत्ति उपदान/भ्. नि. का	किन्तु ग्रु. बी. यो./ मृ. एवं निवृत्ति उपदान/भ. नि. पाने	निवृत्ति उपदान १ नि. की रकम व	
	रिश्ता		व्यक्ति को देय रकम का भाग	नामन अमान्य हो जाएगा	से पहले नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में जिन व्यक्तिओं को यदि कोई हो, नामित व्यक्ति को दिया	ान. का रकम व उसका भाग	
					गया अधिकार प्राप्त होगा, उनके नाम पते और संबंध	Amount of	
Name and address of the nominee (s)	Nominee (s) relationship with railway servant	Age	Amount of GIS/DCRG/PF accumulated and amount of share to be payable there from to each nominee	Contingencies on the happening of which the nomination of GIS/ DCRG/PF shall become invalid	Name, Address. Relationship of the person if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of predeceasing the Govt. servant or the nominee dying after death of the Rly, servant before receiving the payment of GIS/DCRG/PF	share of hi GIS/DCRG PF payable each	
	DIE STREET	वस इह. व	s pay sover the	DEFECT OF THE REPORT	receiving the payment of dis/DChd/FF	¢ Tryis	
1	2	3	4	5	6	7	
विष्य निधि/PF						^	
						an Aleman	
WHILE IF A - ILLIN	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	er pres		FI NO FOLLOW IN MEDICAL PROPERTY OF THE PROPER		THE SOLD	
		-	estorios	PIEM JAHBAS			
		38	GSENIONE	ny o ne person is	d Research barge spuck on, it i	ow.orff	
त्यु एवं निवृत्ति उपदान/D	CPC	ent me	rang of yema tasi one	ACCESS OF ACCESSORS	\$55.00 NATE OF THE RESERVENCE	rop or T	
तिषु एव निवृति उपरान/ ८	I			i	West Control	W	
			- Almidia for the Artist	TO STATE OF THE ST		RAUIOU	
					MATERIAL HARMONE STATES TO LINE		
प बीमा योजना/GIS	e entirety dr	i ni bali	special booted tiwe to	Hane iso symmony			
					igen case of Er num nation.	augmet.	
	to isomen	a yirto	(EXTIGUE) AS 1 SO VOIE	ms year is act one	as our seament of the compagnon, and	D BOND	
Innessanasycles	o version a				HUMESTON AT THOMSTONE STEELINGS	Q DES IN	
				reside (E CAPER	
यह नामन मेरे द्वार on	ा इससे पूर्व दिनांक ⁻ (date) w		को किये गये नामन के अधिक्रमण s cancelled.	ा में है, जिसे रद्द समझा जाये/Th	is nomination supercedes the nomination made	by me earlier	
साक्षियों के हस्ताक्षर/Signature of witnesses :				रेल कर्मचारी के ह	रेल कर्मचारी के हस्ताक्षर (जमाकर्ता)/Signature of Rly. servant (Subscriber)		
(1) साक्षी का पूरा नाम/Full name of witness				स्पष्ट अक्षरों में पृ	स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम/Full name in block letters		
पदनाम, स्टेशन कार्यालय/Designation, office Station				भविष्य निधि लेख	भविष्य निधि लेखा क्र./PF Account No.		
साक्षी के हस्ताक्षर/Signature of witness				पिता/पति का नाग	पिता/पित का नाम/Father's/Husband's Name		
				जमाकर्ता विवाहित	है या अविवाहित/Whether depositor is married or u	unmarried	
साक्षी का पूरा नाम/Full name of witness				पदनाम/Post he	पदनाम/Post held		
पदनाम, स्टेशन कार्यालय/Designation, office Station				विभाग/Departn	विभाग/Department		
her personal legal	o yas alsak			The Challen	Hard (Station		

स्टेशन/Station

दिनांक/Date

सामान्य अनुदेश

- 1. यदि एक ही व्यक्ति नामित हो, तो "व्यक्तियों" शब्द काट दिया जाए ।
- 2. सरकारी कर्मचारी, अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान के आर-पार लाइन खींच दें, ताकि, उसके हस्ताक्षर करने के बाद कोई और नाम न लिखा जा सके ।
- 3. कालम क्र. 4 इस प्रकार भरा जाए कि संपूर्ण जमा रकम का उल्लेख हो जाए ।
- 4. कालम क्र. 7 में दर्शायी भाग की राशि मूल नामित व्यक्ति को देय पूर्ण रकम/भाग हो ।
- 5. यदि जमाकर्ता हिन्दु, मुसलमान, बौद्ध या भारतीय उत्तराधिकार (1925 का XXXIV) से अपवाद माना गया अन्य कोई व्यक्ति न हो, तो यह नामन उसके विवाह या पुर्नीर्ववाह पर भविष्य निधि के मामले में पूर्णतः रह माना जाएगा ।
- 6. भविष्य निधि/मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान नामांकन के संबंध में यदि रेलवे कर्मचारी का परिवार हो, तो उसमें से कोई सदस्य अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों का नामांकन किया जा सकता है ।
- 7. ग्रुप बीमा योजना के नामांकन के संबंध में परिवार के किसी सदस्य/सदस्यों के नाम का ही नामांकन किया जा सकता है । यदि रेलवे कर्मचारी का परिवार न हो, तो वह नामांकन नहीं करेगा ।
- 8. जहां तक संभव हो, घोषणा पत्र, जमाकर्ता के हाथों से हिन्दी/अंग्रेजी में स्याही से लिखा हुआ होना चाहिए और दोनों साक्षकर्ताओं की एकसाथ उपस्थिति में और सामने हस्ताक्षर किये जाने चाहिए और इन तीनों ने उनके हस्ताक्षर, पुरा कार्यालयीन पदनाम और पता लिखना चाहिए ।
- 9. यदि जमाकर्ता अनपढ़ हो तो वह साक्षकर्ताओं के सामने प्रिंटर की स्याही से उसके बाएं अंगुठे का निशान लगाएगा और अन्य अनुदेश ध्यान से देखेगा ।
- 10. घोषणा पत्र में किसी प्रकार से किया गया सुधार, काटछाट, लिखाई के उपर लिखाई, अन्तर्वेशन नहीं चलेगा ।
- 11. "संपूर्ण" शब्द अथवा प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय भाग अथवा शब्द या आंकर्डो में बतायी विशिष्ठ रकम कालम क्र. 4 में दर्शानी चाहिए ।
- 12. प्रतिबंधित घोषणा-पत्र वैध नहीं है ।
- 13. एक बार बनाया वैध घोषणा पत्र, सिर्फ नया घोषणा पत्र बनाने के बाद ही रद्द समझा जाएगा
- 14. भविष्यनिधि के नामांकन के मामले में खाता क्रमांक सही लिखा जाए ।
- 15. भिवष्यिनिधि के नामांकन के संबंध में, जिस कर्मचारी का परिवार न हो और वह किसी दूसरे व्यक्ति को नामित करना चाहता हो तो उसे 5000/- रु. से अधिक तक की शेष राशि के भुगतान के लिये भिवष्य निधि अधि. 1925 की धारा 4 के अनुसार कानूनी कागजात प्रस्तुत करने चाहिए ।

GENERAL INSTRUCTIONS

- 1. The word 'Persons' shall be struck off, if only one person is nominated.
- 2. The government servant should draw line across space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.
- 3. Column No. 4 should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.
- 4. The amount of share shown in column No. 7 should cover the whole amount/share payable to the original nominees.
- When subscriber is not a Hindu Muhammadian, Buddhist & or any other person exempted from option on the Indian Succession Act 1925 (XXXIV of 1925) this nomination shall forthwithstand cancelled in its entirety on his marriage or remarriage in case of PF nomination.
- 6. In the case of PF/DCRG nomination, in case the railway employee has a family, only a member of the family can be nominated, otherwise any other person (s) can be nominated.
- 7. In the case of GIS nomination, nomination can only be in favour of member (s) of family, if the railway employee does not have a family, he cannot make any nomination.
- 8. The declaration should be written in Hindi/English in ink in the handwriting of the depositor, whenever possible and must be signed by him in the presence of both the witnesses together and the full (Official) designation and address of the three given after their respective signatures.
- 9. If the depositor is illiterate, he must affix his left thumb impression in printer's ink before the witness, the other instructions being carefully observed.
- 10. There should not be any correction erasures, overwriting or interpolation in the declarations.
- 11. The word "whole" or the share payable to each nominee or a specified sum expressed in words as well as figures should be shown in column. 4.
- 12. A conditional declaration is not valid.
- 13. A valid declaration once executed can be revoked only be executing a fresh declaration.
- 14. In case of PF nomination, correct account No. should be indicated.
- 15. In case of PF nomination, where the employee does not have a family and wishes to nominate any other person legal documents required under Section 4 of the PF Act 1925 will be required, for payment, in case sum or balance exceeds Rs. 5,000/-